संख्या-32/2020/689/71-2-20-05/2019

प्रेषक,

मार्कण्डेय शाही,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल,
सी0जी0 सिटी, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 2020

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में संस्थान के गैर वेतन मद में अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-एफओ/सीआई/16/134/2020, दिनांक 17-03-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में संस्थान के गैर वेतन मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है। शासनादेश संख्या-38/2019/744/71-2-2019-05/2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा संस्थान के अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 600.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-0308-कैंसर संस्थान, लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 600.00 लाख (रूपये छः करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, कैंसर संस्थान के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय प्रदान करते है।

3- स्वीकृति की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैक में नहीं रखी जायेगी।

4- स्वीकृति धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22, मार्च 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

7- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/401/दस-2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मार्कण्डेय शाही)
विशेष सचिव।

संख्या-32/2020/689(1)/71-2-20-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।